



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-25.12.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना सारनाथ में चोरी के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास एवं कुल 5000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना सारनाथ, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-0372/20 धारा 457,380,411,413,414 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त 1- रामप्रसाद सोनकर पुत्र वसन्ता सोनकर निवासी दीनदायलपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी को थानाध्यक्ष सारनाथ व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-24.12.2024 को माननीय न्यायालय ACC-04 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त रामप्रसाद सोनकर उपरोक्त को अंतर्गत धारा 380,411,457,413,414 भा0द0वि0 मे 02 वर्ष के कारावास एवं कुल 5000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।